पत्रांकः:वा0क0अधि0 / विविध /4723 / 2015

प्रेषक,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अनु सचिव,
लोक सेवा प्रबन्धन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

लखनऊ:दिनांकः अक्टूबर 01, 2015

विषयः– उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं के प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक् शासन के पत्रांक–2233 / 11–3–2015–173 / 13 दिनांक 21.08.15 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अंतर्गत आच्छादित सेवाओं की प्रगति रिर्पोट प्रत्येक माह की 02 तारीख तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी श्री श्रीकृष्ण यादव, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.08.15 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। श्री यादव के स्थान पर श्रीमती साधना त्रिपाठी, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, लखनऊ को मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है:–

1. नाम–	**श्रीमती साधना त्रिपाठी,**
2. पदनाम–	**सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2, लखनऊ**
3. कार्यालय दूरभाष नं0–	**0522–2287690**
4. मोबाईल नं0–	**9415336631**

अतः निर्देशानुसार सूचित करना है कि **माह सितम्बर–2015** से सम्बन्धित वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप 1, 2 व 3 में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
01/10/15

(डी0पी0 सिंह)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनःसंख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनुसचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ ।
2. श्रीमती साधना त्रिपाठी, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

01/10/15

(डी0पी0 सिंह)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।